



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 05.09.2026

थाना बिनौली पुलिस टीम ने थाने के 1- मु0अ0सं0 241/26 धारा 305(ए) बीएनएस व 2- मु0अ0सं0 235/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ स्टार्टर, केबिल, कटआउट तथा एक अवैध तमंचा व एक जिन्दा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1- दिनांक 03.08.2026 को वादी श्री मोनू त्यागी पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम गल्हैता थाना बिनौली जनपद बागपत ने तहरीर दी कि वादी के ट्यूबवैल से केबिल व पाइप लाइन को अज्ञात चोर द्वारा वादी की ट्यूबवैलो से केबिल कटआउट, स्टार्टर आदि सामान चोरी कर लिया हैं । इस सम्बन्ध में थाना



बिनौली पर मु0अ0सं0 241/26 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

2- दिनांक 29.07.26 को वादी श्री हरवीर सिंह पुत्र सुखवीर सिंह निवासी ग्राम रंछाड थाना बिनौली जनपद बागपत ने तहरीर दी कि वादी व अन्य व्यक्तियों की ट्यूबवैलो से अज्ञात चोर द्वारा केबिल कटआउट, स्टार्टर आदि सामान चोरी कर लिया हैं । इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 235/26 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस टीम द्वारा थाने के 1- मु0अ0सं0 241/26 धारा 305(ए) बीएनएस व 2- मु0अ0सं0 235/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल

अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों 1- सुहेल 2- सोयब को गिरफ्तार किया गया हैं। जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ स्टार्टर, केबिल, कटआउट तथा एक अवैध तमंचा व एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।

बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार धारा 317(2) बीएनएस वृद्धि तथा मु0अ0सं0 277/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सुहेल पुत्र नबाब निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 23 वर्ष,
- 2-सोयब पुत्र नबाब निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- अभियुक्त- **सुहेल** के कब्जे से कटे हुये 03 केबिल के टुकड़े, एक क्षतिग्रस्त स्टार्टर ग्रे कलर व 04 कटआउट क्षतिग्रस्त व 02 कन्ट्रोलर क्षतिग्रस्त, एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।
- अभियुक्त- **सोयब** के कब्जे से कटे हुये 03 केबिल के टुकड़े, एक क्षतिग्रस्त स्टार्टर ग्रे कलर व 05 कटआउट क्षतिग्रस्त व 02 कन्ट्रोलर क्षतिग्रस्त

गिरफ्तार/अनावरण करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सन्नी कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत
- 2-उ0नि0 नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
- 3-का0 263 यतेन्द्र सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
- 4-का0 253 आकाश थाना बिनौली जनपद बागपत
- 5-का0 233 दीपक जुरैल थाना बिनौली जनपद बागपत



प्रेस नोट
थाना खेकडा

दिनांक 05.09.26

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 315/26 धारा 110 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त सीमेन्ट की ईंट बरामद।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 04.09.26 को थाना खेकडा पर वादी आवेदक उमेश कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.टिंकू पुत्र राकेश निवासी मदरसे वाली गली कस्बा खेकडा बागपत व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के चचेरे भाई नितेश के सिर पर ईंट मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देना। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 315/26 धारा 110 बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 315/26 धारा 110 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त सीमेन्ट की ईंट बरामद की गई। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.टिंकू पुत्र राकेश निवासी मदरसे वाली गली कस्बा खेकडा बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीन-

1. उ०नि० श्री विकास कुमार थाना खेकडा जिला बागपत
2. का० 893 राहुल कुमार थाना खेकडा जिला बागपत
3. रि०का० 195 विवेक कुमार थाना खेकडा जिला बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना-दोघट

दिनांक- 05.09.2026

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 08 नग चरखी अवैध चाइनीज मांझा बरामद ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 08 नग चरखी चाइनीज प्लास्टिक मांझा बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

रणवीर पुत्र बलवीर निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 44 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

- 08 नग चरखी चाइनीज प्लास्टिक मांझा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ०नि० ब्रजेश मौनिया थाना दोघट जनपद बागपत ।

2- है0का0 748 रामजीलाल थाना दोघट जनपद बागपत ।

3- है0का0 239 कुलदीप सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक-05.09.2026

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 02 बोरी में निर्मित/अर्धनिर्मित अवैध पटाखे वजन करीब 24 किलो ग्राम बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध पटाखों की तस्करी करने वालों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से 02 बोरी में निर्मित/अर्धनिर्मित अवैध पटाखे वजन करीब 24 किलो ग्राम बरामद किये गये हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अल्तमस पुत्र इल्यास निवासी मौ0 तिरगिरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत उम्र 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 02 बोरी में निर्मित/अर्धनिर्मित अवैध पटाखे वजन करीब 24 किलो ग्राम बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत
- 2-है0का0 691 अमित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत
- 3-का0 846 नरेन्द्र कुमार थाना बडौत जनपद बागपत





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना-बडौत दिनांक- 05.09.26

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 13 नग अवैध चाइनीज मांझा बरामद ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 13 नग चरखी चाइनीज प्लास्टिक मांझा बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -वाहिद पुत्र दिलशाद निवासी बड़ा जैन मन्दिर के पास पट्टी मेहर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

- 13 नग चरखी चाइनीज प्लास्टिक मांझा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- है0का0 754 मंजीत कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3- का0 420 मौ0 राशिद थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना-बडौत दिनांक- 05.09.26

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 12 नग अवैध चाइनीज मांझा बरामद ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 12 नग चरखी चाइनीज प्लास्टिक मांझा बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

हिमांशु पुत्र रोहताश निवासी ग्राम लोयन मलकपुर
थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

- 12 नग चरखी चाइनीज प्लास्टिक मांझा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री विविध महाजन थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- है0का0 691 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3- का0 846 नरेन्द्र थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत- दिनांक 05.09.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 579/26 धारा 305(बी)/317(2) बीएनएस मे वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से मन्दिर से चोरी किये हुए 02 तांबे के लोटे बरामद ।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 05.09.2026 को वादी श्री अरिन्दान प्रशान्त भारद्वाज सिद्ध पीठ बाबा लंगडे की बगीची शिव मंदिर माता कालोनी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.अरम पुत्र अखमुद्दीनम, 2.रिजवान पुत्र यामीन, 3.शकील इस्लाम निवासी माता कालोनी लगड़े बाबा की बगीची वार्ड न0- 17 थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत द्वारा मंदिर प्रांगण से एसी और 05 तांबे के लौटे व कुछ नगद रुपये चोरी कर लेना । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 579/26 धारा 305(बी)/317(2) बीएनएस विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम व चोर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 579/26 धारा 305(बी)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गाय है, जिसके कब्जे से मन्दिर से चोरी किये हुए 02 तांबे के लोटे बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अकरम पुत्र अखमुद्दनी निवासी माता कालोनी लगड़े बाबा की बगीची वार्ड न0- 17 थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत

बरामदगी का विवरण-

- 02 तांबे के लोटे ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

2- है0का0 151 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 05.09.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तंमचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से एक अवैध तंमचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

फरमान पुत्र अब्दुल हकीम निवासी मौ० नई बस्ती केतीपुरा थाना व जिला बागपत उम्र करीब 46 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं०- 0016/17 धारा 3/5/8 गौवध अधि० थाना कोतवाली बागपत।
2. मु०अ०सं०- 1317/18 धारा 3/11 पशु अतिचार अधि० थाना कोतवाली बागपत।
3. मु०अ०सं०- 1321/18 धारा 11 पशु अतिचार अधि० व 270/273 भादवि० थाना कोतवाली बागपत।
4. मु०अ०सं०- 1478/18 धारा 307/323/325/395/412/427/504 भादवि थाना कोतवाली बागपत।
5. मु०अ०सं०- 309/19 धारा 3/5/8 गौवध अधि० थाना कोतवाली बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तंमचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री उ०नि० शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 2-है०का० 151 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 3-है०का० 652 मोहित कुमार थाना कोतवाली बागपत।